



शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षकों में कौशल विकास

डॉ० राजेश कुमार पाण्डेय, प्रोफेसर

के०पी० ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

सारांश :

शिक्षा समाज में व्यापक और सूक्ष्म आर्थिक परिवर्तनों का प्रभावशाली माध्यम है। राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में समुचित योगदान के लिए प्रत्येक नागरिक का शिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा नीति 2020 में भारत को विश्व के अन्य देशों की तुलना में विशिष्ट बनाने की संकल्पना की गयी है। ऐसी स्थिति में शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। “वर्तमान समाज के गुणात्मक विकास के लिए आवश्यक है कि अध्यापक अपने ज्ञान को परिपूर्ण एवं विकसित बनाएं, इसके लिए उन्हें सेवापूर्व तथा सेवाकाल में अपने पेशे की सम्पूर्ण पूर्णताओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए (डेलार्स आयोग, 1996)।”

मुख्य शब्द : पेशेवराना कौशल, गुणात्मक शिक्षा, पेशेवराना प्रतिबद्धता आदि।

भूमिका :

21 वीं शताब्दी में संचार एवं सूचना क्रांति ने विश्वग्राम की अवधारणा को जन्म दिया है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र प्रतिस्पर्धा से जुड़ गया है। भविष्य में किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की शक्ति का निर्धारण उसके ज्ञान की पूंजी को आधार पर होगा (सिंह, 2003)। किसी राष्ट्र की प्रगति व उन्नति उसके अध्यापकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। शिक्षा आयोग (1964-66) ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि “भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है।” कक्षाओं का निर्देशन शिक्षक के हाथ में होता है। अच्छी शिक्षा योग्य अध्यापक ही दे सकते हैं (कलाम, 2005)। इसके अभाव में विद्यार्थियों को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षित करने और उन्हें हुनरमंद बनाने का कार्य पूरा नहीं होगा। गुणात्मक शिक्षा और शैक्षिक प्रशासन की सफलता के लिए आवश्यक है कि अध्यापक अपने पेशेवराना कौशल एवं दक्षता का विकास करें और अध्यापन पेशे के कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें तभी वे शिक्षा की आधुनिक अपेक्षा पर खरे उतर सकेंगे (लोढ़ा, 2003) अध्यापक को अपने पेशे से संबन्धित विशेष दक्षता, ज्ञान व कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इस शिक्षक प्रशिक्षण को ही अध्यापक शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति में उपयुक्त अभिवृत्ति, ज्ञान और कौशल व व्यवहार में क्रमबद्ध विकास एवं परिमार्जन कर शिक्षणोपयोगी गुणों को विकसित किया जाता है। इससे व्यक्ति की कार्यक्षमता व कुशलता में वृद्धि हो जाती है (सिंह, 2003)। अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में अध्यापन व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करना व शिक्षा तथा अध्यापन सम्बन्धी नियमों, सिद्धान्तों तथ्यों, विधियों एवं



प्रविधियों का ज्ञान कराकर उन्हें प्रयोग में लाने की क्षमता विकसित करना है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मानना है कि—“शिक्षा के किसी भी कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमें पूर्णतया योग्य शिक्षक की आवश्यकता है जिनके पास न केवल उच्च शैक्षिक योग्यताएं एवं क्षमताएं हो वरन् जो विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता और उपलब्धि को बढ़ाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर एवं यथार्थवादी बनाने के लिए निरन्तर प्रयास करने के प्रति जिम्मेदार एवं प्रतिबद्ध हों।” प्रत्येक प्रकार की शिक्षा के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के कतिपय प्रमुख विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। उनमें से कुछ बिन्दु ऐसे हैं जो प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र के अध्यापक शिक्षा के लिए अपरिहार्य हैं।

कौशल विकास संबन्धी प्रमुख उद्देश्यः—

- विद्यार्थियों के मनोविज्ञान की स्पष्ट समझ, अधिगम सिद्धान्तों का अवबोध तथा शिक्षा के सिद्धान्तों की समझ विकसित करना।
- पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्तों तथा शिक्षण विषय के अवबोध को विकसित करना।
- विभिन्न प्रकार की विषयवस्तु के शिक्षण के लिए अधिगम उद्देश्यों को लिखने की क्षमता का विकास करना।
- मूल्यांकन प्रश्नों के निर्माण की योग्यता एवं निर्देशन तथा परामर्श कौशलों को विकसित करना।
- शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों तथा कक्षा परिस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी प्रदान करना।
- सृजनात्मक चिंतन, सम्प्रेषण कौशलों का विकास तथा सामाजीकरण की प्रक्रिया को समझने की क्षमता विकसित करना।
- आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, दृश्य-श्रव्य सामग्री के निर्माण तथा सही तरीके से प्रयोग करने का कौशल विकसित करना।
- विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझने की योग्यता एवं क्रियात्मक अनुसंधान करने की योग्यता का विकास करना।
- नवाचारात्मक अभ्यासों के प्रयोग से परिचित कराना तथा उचित विधियों द्वारा शिक्षण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करना।
- शिक्षा में सामुदायिक संसाधनों के प्रयोग से परिचित कराना तथा जीवनपर्यन्त सीखने की इच्छा विकसित करना।

आज भी विद्यालयों में अध्यापक परम्परागत रूप से पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रमों को कक्षाओं में जाकर पढ़ाता है। उनमें नवीन ज्ञान का अभाव, तैयारी तथा नवाचारों की जानकारी का अभाव, पेशे के प्रति ईमानदारी की कमी तथा प्रतिबद्धता का अभाव दिखाई देता है। आधुनिक युग में मानव ज्ञान के क्षेत्र में कई नए आयाम जुड़े हैं, फलस्वरूप शिक्षक की विस्तृत भूमिका बनी है, जिसके मद्देनजर शिक्षकों



को विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्हें अध्यापन व्यवसाय की विधियों, प्रविधियों, सिद्धान्तों, नियमों आदि के ज्ञान के साथ-साथ इनका यथोचित अवसर पर प्रयोग कर सकने की कला में दक्ष भी होना चाहिए ताकि वह आधुनिक समाज की शैक्षणिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के योग्य बन सकें।

निष्कर्ष :

आज का अध्यापक बनने के लिए मात्र विषय का विशेषज्ञ होना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि अतिशीघ्र परिवर्तनशील एवं तकनीकी प्रधान युग में पुरानी एवं परम्परागत कक्षा शिक्षण विधियां अनुपयुक्त साबित हो रही हैं। आधुनिक समाज की दो विशेषताएं हैं—

1—निरन्तर ज्ञान की वृद्धि

2—शीघ्र परिवर्तन,

आज ज्ञान तेजी से बढ़ रहा है नित नए परिवर्तन हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। अतः आज शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निरन्तर बढ़ते ज्ञान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। ऐसी स्थिति में ज्ञान निष्क्रिय रहकर ग्रहण नहीं किया जा सकता है, अपितु सक्रिय रहकर उसे खोजना पड़ता है। आज समाज में सामाजिक परिवर्तन भी बड़ी तीव्रता से हो रहा है। अतः शिक्षा का उद्देश्य मात्र सूचनाएं प्रदान करना नहीं वरन् बालक के अन्दर जिज्ञासा उत्पन्न करना है। समुचित रुचियों, अभिवृत्तियों एवं मूल्यों का विकास करना है, स्वतन्त्र अध्ययन, चिन्तन और विवेक के कौशल का विकास करना है (अग्निहोत्री, 1994)। जिससे वह अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सकने में समर्थ हो सके और बदलते आधुनिक परिवेश में अपने आपको समायोजित कर सके। इसके लिए शिक्षकों को अपने पेशे के प्रति सतत् जागरूक रहना होगा और सम्बन्धित आवश्यक गुणों को विकसित करना होगा तभी वह आधुनिक समाज की आवश्यकतानुसार गुणात्मक शिक्षा दे पाने में समर्थ हो सकेगा।

सन्दर्भ :

अग्निहोत्री, रवीन्द्र (1994),

आधुनिक भारतीय शिक्षा : समस्याएं और समाधान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 99

कलाम, ए.पी.जे. अब्दुल (2005),

सम्मान के लिए शिक्षा, योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, 49 (6), 6

लोढ़ा, जितेन्द्र (2003),

शिक्षकों का वृत्तिक विकास, प्रतियोगिता दर्पण (अक्टूबर), 525

सिंह, हरेन्द्र (2003),

अध्यापक शिक्षा की उपादेयता, भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन.सी. ई. आर.टी, नई दिल्ली, 22 (1), 56

सिंह, जे. पी. (2003),

इक्कीसवीं सदी का भारत और शिक्षा संकट एक अवलोकन, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 48(11), 7